बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रशिक्षुओं के छात्रवृत्ति का दर प्रतिमाह ₹ 500=00 से बढ़ाकर ₹ 800=00 प्रतिमाह करने एवं छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिये भोजन एवं अल्पाहार हेतु ₹ 1500=00 प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना राज्य में हस्तशिल्प विकास हेतु अग्रणी संस्था है। संस्थान मे निम्नांकित प्रशिक्षण शाखा अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निम्नवत् निर्धारित है :—

क्र०	शाखा का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	बुनाई शाखा	6
2.	रंगाई—छपाई	4
3.	वेणु एवं चटाई बुनाई	8
4.	पेपर मेशी	2
5.	मृणमय शाखा	4
6.	कशीदा शाखा	8
7.	काष्ट तक्षण पच्चीकरण शाखा	4
8.	टिकुली शाखा	4
9.	चर्म शिल्प	6
10.	मधुबनी पेन्टिंग	6
कुल :—		52

इसके अतिरिक्त स्क्रीन प्रिंटिंग में भी प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। संस्थान में प्रशिक्षण हेतु आधारभूत सुविधा उपलब्ध है। शिल्पियों हेतु छात्रावास का निर्माण हो चुका है। एक सत्र में 52 (बावन) प्रशिक्षणार्थियों को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार एक साल में कुल 104 (एक सौ चार) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का सत्र माह जनवरी से माह जून एवं माह जुलाई से माह दिसम्बर निर्धारित है। इन प्रशिक्षुओं को वित्तीय वर्ष 2007—08 में स्वीकृत ₹ 500=00 (रुपये पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्त्तमान समय में बाजार मूल्य में काफी वृद्धि हो जाने के कारण ₹ 500=00 (रुपये पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह की छात्रवृत्ति में वे दैनिक व्यवहार की चीजों का प्रयोग करने में भी कठिनाई महसूस करते है। छात्रवृत्ति की दर ₹ 500=00 (रुपये पाँच सौ) मात्र रहने के कारण प्रशिक्षण में भागीदारिता कम रहती है, जिससे सरकार के कौशल विकास के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतएव राज्य के शिल्पियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से महँगाई में वृद्धि को देखते हुए प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति में वृद्धि किए जाने तथा वैसे प्रशिक्षणार्थी जिनका आवास पटना नगर निगम के क्षेत्र से बाहर है, उनके लिए संस्थान के छात्रावास में रहने एवं भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति की दर ₹ 500=00 से बढ़ाकर ₹ 800=00 प्रतिमाह करने तथा प्रति सत्र 26 कुल 52 वैसे प्रशिक्षणार्थियों, जिनका आवास पटना नगर निगम के क्षेत्र से बाहर है, उनके लिए संस्थान के छात्रावास में रहने तथा भोजन एवं अल्पाहार की व्यवस्था हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹ 1500=00 प्रतिमाह की दर से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित राशि का व्यय गैर योजना मद में मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–104, हस्तशिल्प उद्योग माँग सख्या–23, उप शीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान विपत्र कोड–N2851001040001 विषय शीर्ष 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित राशि एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का उपबंध कराकर विकलनीय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–03/उ०नि०/हस्त–05/2005/
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03/उ०नि०/हस्त–05/2005/
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03/उ०नि०/हस्त–05/2005/
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/ निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ कार्यकारी निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ प्रशासक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:Rahul_Work-Directorates Of Industries\Udyog Nideshalay Section-003